न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

जस्व वाद संख्या 415/2022

ाद दायरी दिनांक — 16.05.2022

[illegible]मालसिंह उम्र 66 वर्ष पुत्र स्व. श्री भागीरथसिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं।

वादी

बनाम

1—मृतक कानसिंहं दत्तक पुत्र धोकलसिंहं जाति राजपुत निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं नोट — दौराने दावा दिनार्क 02.02.2023 को देहान्त हो गया।

1/1 सन्तोष पत्नी स्व. कानसिंहं

1/2 गोकुल पुत्र स्व. कानसिंहं

1/3 नथी कंवर पुत्री स्व. कानसिंहं

निवासीगण वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं ।

2—शीशराम उम्र 58 वर्ष पुत्र स्व. श्री हुक्माराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं।

3—बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं।

4—राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं।

प्रतिवादीगण—

वकील वादीगण— श्री विनोद गिल एडवोकेट

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दूरूस्ती बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः— 13.02.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है ग्राम वाहिदपुरा पटवार हल्का वाहिदपुरा में भूमि गत ख.न. 353 रकबा 34 बीघा 6 विश्वा भूमि धोकलसिहं, गणपतसिहं पुत्र मेघसिह की खातेदारी की भूमि थी जिसमें से धोकलसिहं पुत्र मेघसिहं के हिस्से में ख.न. 353/1 रकबा 18 बीघा भूमि आयी। ख.न. 383/393 श्योलाल पुत्र बालुराम के नाम रही।धोकलसिहं के पास ख.न. 353/1 मीन रकबा 18 बीघा भूमि थी उसमें से 5 बीघा 3. विश्वा भूमि का विकय पत्र दिनाक 04.03.1976 को हुक्माराम पुत्र चिमनाराम को विक्रय पत्र तसदीक करवा दिया। उक्त विकय पत्र तसदीक करवाने

के पश्चात ख.न. 353/1मीन में 12 बीघा 17 विश्वा भूमि शेष बची जो तहसील नामान्तरकरण संख्या 387 फूलकंवर बेवा धोकलसिंह व कानसिंह दतक पुत्र धोकलसिंह के नाम उक्त भूमि आयी। ख.न. 353/1 मीन रकबा 5 बीघा 3 विश्वा भूमि हुक्माराम पुत्र भिमनाराम के नाम दर्ज की गयी। जिसका अलग खाता है।जो भूमि ख.न. 353/1 मीन रकबा 12 बीघा 17 विश्वा फूलकंवर बेवा धोकलसिंह व कानसिंह दतक पुत्र धोकलसिंह के पास थी उसमें से फूलकंवर बेवा धोकलसिंह ने ख.न. 353/1 मीन तादादी 12 बीघा 17 विश्वा में से अपने हिस्से की 4 बीघा 6 विश्वा भूमि पुख्ता नामी 10 बीघा खाम का विक्रय पत्र वादी जगमालसिंह के हक में दिनाकं 16.02.1994 को तसदीक करवा दिया। उक्त भूमि की सीमा निम्न प्रकार हैः—उत्तर में — शेष भूमि स्वयं दक्षिण में — भूमि रामकिशन जाट कीपूर्व में जमीन श्री हुक्माराम जाट की पश्चिम में रामसिंह जाट व सुल्तानसिंह जाट की

उक्त विक्रय पत्र में इस तथ्य का भी नोट है कि उक्त विक्रय पत्र में दतक पुत्र कानसिहं की सहमति रही है। मौके पर वादी 4 बीघा 6 विश्वा भूमि को काश्त करता है व काबिज है। मौके पर तारबन्दी करके वादी अपने हिस्से की भूमि को काश्त कर रहा है। ख.न. 353/1 मीन में से 4 बीघा 6 विश्वा भूमि वादी को विक्रय करने के पश्चात ख.न. 353/1 मीन रकबा 12 बीघा 17 विश्वा भूमि में से 8 बीघा 11 विश्वा भूमि शेष बची जिसका विक्रय पत्र फूलकंवर व कानसिहं ने प्रतिवादी नं. 2 शीशराम के नाम विकय पत्र दिनाक 07.04.1997 को तसदीक करवा दिया। फूलकंवर व कानसिहं ने जो विकय पत्र दिनाक 07. 04.1997 को तसदीक करवाया उसकी चतुर्थ सीमाओं में वादी की भूमि का भी उल्लेख है। शीशराम को भूमि का विक्रय पत्र तसदीक करवाने के पश्चात फूलकंवर व कानसिहं के पास कोई भूमि शेष नहीं बची।वादी 4 बीघा 6 विश्वा भूमि का अर्थात 1.088 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है क्योंकि वादी का विक्रय पत्र दिनाकं 16.02.1994 का है जो प्रतिवादी नं. 2 शीशराम के विकय पत्र से पहले तसदीक हुआ है।राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में कानसिहं दतक पुत्र धोकलसिहं का नाम गलत दर्ज कर रखा है कानसिहं दतक पुत्र धोकलसिहं के पास कोई भूमि शेष नहीं है। वादी इस आश्य का रिकार्ड दुरूस्तकरवाने का अधिकारी है कि राजस्व रिकार्ड में से कानसिहं दत्तक पुत्र धोकलसिहं का नाम हटाया जाये तथा बादी को भूमि गत ख.न. 353/1 मीन रकबा 12 बीघा 17 विश्वा जिसके हाल ख.न. 810 रकबा 2 हेक्टर, ख. न. 812 रकबा 1.25 हेक्टर कुल खसरा दो रकबा 3.25 हेक्टर में से यादी 1.088 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है तथा कानसिहं दतक पुत्र धोकलसिहं का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाया जाना न्यायोचित है।वादी वाद में वर्णित भूमि गत ख.न. 353/1 मीन 12 बीघा 17 विश्वा जिसके हाल ख.न. 810 रकबा 2 हेक्टर, ख.न. 812 रकबा 1.25 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.25 हैक्टर में 1.088 हेक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है तथा उक्त भूमि का विभाजन अलग करवाने का अधिकारी है।वादी वाद की धारा 7 में वर्णित भूमि के लिये प्रतिवादी नं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वो भूमि को विक्रय रहन व दान नहीं करें रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।वादी ने अपने पक्ष में तसदीक हुये विकय पत्र को नामान्तरकरण के लिये हल्का पटवारी को दे दिया था हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण तसदीक नहीं किया वादी ने जब अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले ली तब वादी को इस तथ्य की जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं है दिनांक 15.05. 2014 के राजस्व रिकार्ड की नकले ली तब गलत बने राजस्व रिकार्ड कीजानकारी हुई तब याद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद डिक्री इस आशय का फरमाया जावे कि –

क– यह कि वादी को वाद में वर्णित भूमि गत ख.न. 353/1मीन रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा जिनके हाल ख.न. 810 रकबा 2 हैक्टर, ख.न. 812 रकबा 1.25 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.25 हैक्टर में से 1.088 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी रिकार्ड दुरूस्त इस आशय का करवाने का अधिकारी है कि उक्त भूमि में कानसिंह दतक पुत्र धोकलसिंह का नाम गलत दर्ज है जो हटाया जावे तथा वादी का मौके परजहां काबिज काश्त है उस हिस्से का 1.088 हेक्टर भूमि का विभाजन अलग किया जावे तथा अलग लगान व पास बुक्स जारी की जावे।

ख– यह कि वादी प्रतिवादी नं. 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वो वाद में वर्णित भूमि हाल ख.न. 810 रकबा 2 हेक्टर व ख.न. 812 रकबा 1.25 हैक्टर भूमि को विक्रय, रहन व दान नही करे रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी न0 1/1 से 1/3, 02 लगायत 04 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी की ओर की शपथ पत्र पेश हुआ जिस पर दस्तावेजात प्रर्दश–1 मिलान क्षेत्र फल, विक्रय पत्र दिनांक 22.03.1996, प्रर्दश–3नामान्तरकरण 387, प्रर्दश– 4 विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1994, प्रर्दश–5 विक्रय पत्र दिनांक 05.04.1997, प्रर्दश–6 जगमाल सिंह बनाम कानसिंह मु. 188/2019, प्रर्दश–7 जमाबन्दी सम्वत 2019–2022, प्रर्दश–8 जमाबन्दी सम्वत 2023–2026, प्रर्दश–9 जमाबन्दी सम्वत 2031–34, प्रर्दश–10 जमाबन्दी सम्वत 2039–42, प्रर्दश–11 जमाबन्दी सम्वत 2044–47, प्रर्दश–12 जमाबन्दी सम्वत 2058–61, पर्दश 13 जमावन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–14 जमाबन्दी सम्वत 2069–72,, प्रर्दश15–जमाबन्दी सम्वत 2074–77, पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता की वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्त वादी की ओर से वादी को वाद में वर्णित भूमि गत ख.न. 353/1मीन रकबा 12 बीघा 17 विश् जिनके हाल ख.न. 810 रकबा 2 हैक्टर, ख.न. 812 रकबा 1.25 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 25 हैक्टर में से 1.088 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी रिक दुरूस्त इस आशय का करवाने का अधिकारी है कि उक्त भूमि में कानसिंह दतक पुत्र धोकलसिंह नाम गलत दर्ज है जो हटाया जावे तथा वादी का मौके परजहां काबिज काश्त है उस हिस्से का 088 हेक्टर भूमि का विभाजन अलग किया जावे तथा अलग लगान व पास बुक्स जारी जाने आदेश फरमाया जावें।

विधि में भूमि के विभाजन व धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा एवं धारा 53 में भूमि क्षे विभाजन का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार वादी के द्वारा रजिस्ट्रर्ड पत्र दिनांक 16.02.1994 के द्वारा विक्रेता फूलकंवर पत्नी धोकलसिंह (प्रतिवादी न0 01

कानसिंह की माता) से क्रय किया जाना साबित है। परन्तु उक्त विक्रय पत्र का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है जिसके कारण से उक्त भूमि की खातेदारी कानसिंह के नाम से चली आ रही है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम वाहिदपुरा पटवार हल्का वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं की सरहद में कृषि भूमि ख.न. 810 रकबा 2 हैक्टर, ख.न. 812 रकबा 1.25 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.25 हैक्टर में से खातेदार कानसिंह पुत्र घोकलसिंह का नाम हजफ किया जाता है। हजफ हिस्से में वादी को भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। घोषणानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य का मौके एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ता कायम करते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मण्डावा को 2000/- रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण मध्य सुविधानुसार खातेदारान का पृथक-पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मण्डावा को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

आदेश 20 के नियम 6 व 7 (जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बाईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा विभाजन बाबत बंटवारा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :– 415/2024 उनवान जगमाल बनाम कानसिंह वगै0

यह मुकदमा आज वास्ते इंफिसाला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक **26.06.2025** निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम वाहिदपुरा के भूमि ख.न. 810 रकबा 2.00 हैक्टर, ख.न. 812 रकबा 1.25 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
		ग्राम वाहिदपुरा		
1	जगमाल सिंह पुत्र भागीरथ सिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा	812 मी.	1.08	बा. 1
	योग	किता 01	1.08	–
2	शीशराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट नि. श्योपुरा राहिन बीआरकेबी मण्डावा	810 812 मी0	2.00 0.17	बारानी –1

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.06.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मु0न0 415/2024 उनवान जगमाल बनाम कानसिंह वगै0

जगमाल वगैरह वादी

बनाम

कानसिंह वगैरह (प्रतिवादी)

दावा बाबत विभाजन

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26.06.2025

न्यायालय हाजा द्वारा 415/2024 उनवान जगमाल बनाम कानसिंह वगै0 में वाद वादी दिनांक 13.02.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक मु.अ. /2025/866 दिनांक 26.05.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम वाहिदपुरा के भूमि ख.न. 810 रकबा 2.00 हैक्टर, ख.न. 812 रकबा 1.25 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैः–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
		ग्राम वाहिदपुरा		
1	जगमाल सिंह पुत्र भागीरथ सिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा	812 मी.	1.08	बा. 1
	योग	किता 01	1.08	–
2	शीशराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट नि. श्योपुरा राहिन बीआरकेबी मण्डावा	810 812 मी0	2.00 0.17	बारानी –1

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
जिला झुन्झुनू